



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



25 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 160 राँची, शुक्रवार,

15 मार्च, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-128/2016 का.-8430 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची के विरुद्ध गठित आरोप-पत्रों में प्रतिवेदित निम्नांकित आरोपों को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है:-

(i) माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष- 2013-14 में स्वीकृत सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं से संबंधित मस्टर रोल/जॉब डिमान्ड आदि कागजातों का विधिवत तरीके से छानबीन/जाँच पड़ताल किये बिना एवं बगैर योजना स्थल के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के कार्य से अधिक राशि का भुगतान कर सरकारी राशि का गबन एवं दुरुपयोग करने संबंधी कुल-02 आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक- 2318 दिनांक-26.09.2016 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 243(i), दिनांक-09.10.2015 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है ।

(ii) माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 माण्डर पंचायत में स्वीकृत योजनाओं का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण में अभिरुचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने एवं मनरेगा कार्य में जे०सी०बी मशीन का उपयोग करने, नगड़ा पंचायत में निर्मित डोभा के स्वीकृत एवं वास्तविक आकार में भिन्नता पाये जाने, वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा श्रमिकों का मजदूरी भुगतान लंबित रखने तथा प्रखण्ड में उपलब्ध कराये गये टैबलेट का उपयोग नहीं करने संबंधी कुल-04 आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक- 2318 दिनांक-26.09.2016 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 157(i), दिनांक-27.07.2016 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है ।

2. श्री उराँव के विरुद्ध प्राप्त उपर्युक्त आरोप पत्रों पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री उराँव के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्रों में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री उराँव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री उराँव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 130/20) एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GOPI ORAON 20080400131	श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
